UPGB010050602026

न्यायालयः–सत्र न्यायाधीश, गौतम बुद्ध नगर।
उपस्थित–श्री अतुल श्रीवास्तव (एच0जे0एस0)
जमानत आवेदन संख्या–1989 सन् 2026

सौरभ प्रति उत्तर प्रदेश राज्य।

आदेश

1	नाम अभियुक्त/पिता का नाम	सौरभ पुत्र श्री कृष्ण उर्फ पप्पू
2	अपराध संख्या	23/ 2026
3	पुलिस थाना	ईकोटेक–3
4	अन्तर्गत धारा	115(2), 352, 105 बी0एन0एस0
5	मजिस्ट्रेट/सेशन परीक्षणीय	सेशन परीक्षणीय
6	अभियुक्त अधिवक्ता	श्री चन्द्रपाल सिंह
7	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	श्री ब्रह्मजीत सिंह
8	जेल दिनांक	16–01–2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन में यह आधार लिया गया है कि अभियुक्त एक सीधा साधा नवयुवक है तथा लडाई झगडे से दूर रहता है। अभियुक्त द्वारा उक्त घटना से सम्बंधित कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त की अभी हाल ही में नई–नई शादी हुयी थी और अपने परिवार के साथ मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने माता पिता का पालन पोषण करता था। अभियुक्त अपनी पत्नी रोशनी के साथ घर की तीसरी मंजिल पर खाना खा रहा था। शोर शराबा सुनकर मकान की छत से देखा, तो कुछ लोग एक लड़के के साथ मारपीट कर रहे थे। अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है तथा उसकी पैरोकारी करने वाला कोई नहीं है। अभियुक्त को घटना कारित करते हुए किसी ने नहीं देखा है। उक्त घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। तहरीर में वादी द्वारा कहीं नहीं लिखा है कि किस अभियुक्त के पास क्या सामान (हथियार) था, जिससे वह घटना कारित की गयी है। वादी द्वारा घटना कारित करने का कोई मोटिव नहीं दर्शाया गया है और घटना कारित क्यों की गयी, न ही चक्षुदर्शी साक्षीगण ने बताया है। उक्त सत्र परीक्षण में आरोप–पत्र दाखिल हो चुका है। अभियुक्त का कोई

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त के जेल में रहने से उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पडने की सम्भावना है।

अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन को शपथ पत्र से समर्थित किया गया है। शपथ पत्र के अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इस जमानत प्रार्थना–पत्र के अलावा अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नही है।

2– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा विरोध किया गया।

3– मैंने उभय पक्षों की बहस विस्तार से सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा संजय कुमार द्वारा थाना हाजा पर दिनांक 15–01–2026 को समय 15.50 बजे इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 14–01–2026 की रात्रि समय करीब 08.30 बजे वादी का छोटा भाई सर्वेश कुमार टेम्पू चलाकर आया था, जैसे ही सर्वेश ने टैम्पू खडा किया, तो पहले से ही खडे सौरभ, अर्जुन पुत्रगण पप्पू, पप्पू, पुत्र नामालूम, रोशनी पत्नी सौरभ ने गाली–गलौच करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट से वादी के भाई में सिर में चोट आई है, जिसका इलाज सरधा हास्पिटल में चल रहा है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ हुई।

5– अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। वादी द्वारा अपनी तहरीर में यह अंकित नहीं किया है कि किस अभियुक्त के हाथ में क्या हथियार था। अभियुक्त घटना के समय अपने घर पर खाना खा रहा था, उसके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। पुलिस द्वारा जो डण्डे, पत्थर आदि की बरामदगी दिखायी गयी है, उस पर रक्त के धब्बे नहीं पाये गये हैं और न ही उक्त बरामद किए हुए डण्डे, पत्थर को विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया है। साक्षीगण के बयानों में विरोधाभास है। अतः अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया।

6– अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि नाली के पानी के विवाद के कारण

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के भाई सर्वेश के साथ मारपीट की गयी, जिसकी एन0सी0आर0 पूर्व में धारा 115(2), 352 बी0एन0एस0 में कायम हुई थी तथा बाद में चिकित्सीय आधार मुकदमा अपराध संख्या–23/2026 पंजीकृत किया गया था। अभियोजन द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक सर्वेश के सिर पर डण्डे व पत्थर से जोरदार प्रहार करने के कारण गंभीर चोटे आयी थी। उक्त डण्डे, सरिया व पत्थर की अभियुक्तगण की निशानदेही पर बरामदगी की गयी है। मृतक सर्वेश की इलाज के दौरान दिनांक 17–01–2026 को मृत्यु होने पर धारा 105 बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त का अपराध सह–अभियुक्तगण के समान है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त करने आ अनुरोध किया गया।

7– प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतक सर्वेश के साथ डण्डे, लोहे की सरिया व पत्थर के टुकड़ो से मारपीट किये जाने तथा उक्त घटना में मृतक के सिर पर आयी गंभीर चोटों के कारण उसकी दौरान इलाज मृत्यु होना कहा जा रहा है। अभियुक्तगण की निशानदेही पर उक्त डण्डे, सरिया व पत्थर की बरामदगी किया जाना बताया जा रहा है। प्रथम दृष्टया अभियुक्त की कथित अपराध में संलिप्ता से इन्कार नही किया जा सकता है। सह–अभियुक्तगण अर्जुन व रौशनी के जमानत प्रार्थना–पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं। मामला गंभीर प्रकृति का है।

अतः मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो में, अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मै, इस मत का हूॅ कि अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त नही है। जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

दिनांक :–24–06–2026

(अतुल श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।
आई0डी0 नं0–यूपी–5738

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

Digitally signed by ATUL SRIVASTAVA
Date: 2026.06.24 13:25:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court